भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1578 #

गुरूवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन सुधार

1578 # श्रीमती साधना सिंह:

श्री सुजीत कुमार:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यटकों की सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करने के लिए की गई प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है, जिनमें राज्यों और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय शामिल है;

(ख) डिजिटल पर्यटन सेवाओं, एकीकृत प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकी-आधारित पर्यटक सुविधा तंत्रों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए यात्रा को सुगम और किफायती बनाने के लिए नीतिगत और नियामक हस्तक्षेप सहित शुरू किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय ने इन उपायों के पर्यटक आवागमन, संतुष्टि और पर्यटन के समग्र विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटकों की सुरक्षा एवं हिफाजत अनिवार्य रूप से राज्य का विषय है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के लिए जमीनी सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने हेतु समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के समक्ष इस मामले को लगातार उठाता रहा है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से, अनेक राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश ने पर्यटक पुलिस की तैनाती की है।

पर्यटकों के लिए यात्रा को सुरक्षित और हिफाजत-युक्त बनाने के लिए मंत्रालय के निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए टोल फ्री नंबर 1800111363 या संक्षिप्त कोड 1363 पर 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित 12 भाषाओं में 24x7 बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन की स्थापना की है, ताकि भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के संदर्भ में सहायता सेवा प्रदान की जा सके और भारत में यात्रा करते समय संकट में फंसे पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन दिया जा सके।

पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से निर्भया कोष के तहत 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल' का लाभ उठाने का अनुरोध करता रहा है, जिसका उपयोग विशेष रूप से महिला पर्यटकों की सुरक्षा एवं हिफाजत में सुधार के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन की आचार संहिता' को अपनाया है, जो पर्यटकों और स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से, महिलाओं एवं बच्चों, दोनों को शोषण से मुक्ति, सुरक्षा एवं सम्मान जैसे मुलभूत अधिकारों के साथ की जाने वाली पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों का एक संग्रह है।

अधिक पारदर्शिता, विश्वसनीयता और बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने आवास इकाइयों के वर्गीकरण और पर्यटन सेवा प्रदाताओं को मान्यता देने के लिए आवेदन प्राप्त करने, उन पर कार्रवाई करने और अनुमोदन प्रदान करने हेतु एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। इनके लिए राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग डेटाबेस (निधि+) अर्थात nidhi.tourism.gov.in नामक पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को पेमेंट गेटवे से भी जोड़ा गया है।

पर्यटन स्थल के विकास के लिए प्रभावी और पर्याप्त संपर्कता एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यटन मंत्रालय महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और उच्च क्षमता वाले अल्प ज्ञात/नए पर्यटन स्थलों तक हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस-उड़ान) के तहत नागर विमानन मंत्रालय के साथ समन्वय किया है और उक्त उद्देश्य हेतु चिह्नित 53 पर्यटन मार्गों के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) को साझा कर रहा है।

वर्तमान में ई-वीज़ा की चौदह (14) उप-श्रेणियां हैं और यह योजना अब 175 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है तथा 38 नामित हवाई अड्डों, 16 नामित समुद्री बंदरगाहों और 02 भू-पत्तनों के माध्यम से प्रवेश के लिए मान्य हैं।

मंत्रालय ने पर्यटकों के आगमन, उनकी संतुष्टि या समग्र क्षेत्रीय विकास पर इन उपायों के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट प्रभाव संबंधी अध्ययन नहीं किया है।

*****